संख्या-189/2024/1110/41-2-2024/105(सा0)/2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ:: दिनांक 09 जुलाई, 2024**

विषय:- मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत शोधार्थियों के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र संख्या-650/2-9(मुख्यमंत्री फेलोशिप यो0)/का0/2023**,** दिनांक 14 मई**,** 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत शोधार्थियों के चयन के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ पर्यटन नीति, प्रबन्धन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण के कार्यो में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित शोधार्थियों को प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति पारिस्थितिकी से जुड़े स्थलों के सर्वांगीण विकास, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के समवर्ती मूल्यांकन, संरचना तथा प्रदेश के अन्तर्गत आयोजित होने वाले मेले, महोत्सवों के आयोजन की रूप-रेखा तैयार करने हेतु शोधार्थियों का चयन किया जाना प्रस्तावित है जिससे प्रदेश के पर्यटन विकास योजनाओं, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रतिभाशाली एवं ऊर्जावान शोधार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी। फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यटन, संस्कृति, ऐतिहासिक तथा पारिस्थितिकी से जुड़े सम्बद्ध क्षेत्र के शोध कार्य करने वाले शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित शोधार्थियों के द्वारा जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त तथा सम्बन्धित पर्यटन विभाग के अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत शोधार्थियों के चयन के सम्बन्ध में दिनांक 25.06.2024 को सम्पन्न मा0 मंत्रि-परिषद् की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

क-

(1) <u>मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के उद्देश्य</u>

मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शोधार्थियों को पर्यटन विभाग, उ0प्र0 द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, पारिस्थितिकी से जुड़े स्थलों के सर्वांगीण विकास, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के समवर्ती मूल्यांकन, संरचना, मेले, महोत्सवों की रूप-रेखा तैयार कराने, पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व वृद्धि एवं भविष्य की आवश्यकताओं के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुरूप पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाओं की संरचना के कार्यो में पूर्ण सहभागिता का अवसर प्रदान करना है। चयनित शोधार्थियों के द्वारा पर्यटन विभाग की योजनाओं एवं मेले महोत्सवों की समेकित कार्यान्वयन की रूप-रेखा तैयार कराने एवं उसका क्रियान्वयन कराने में सहयोग करना। चयनित शोधार्थियों द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों एवं देशों द्वारा की जाने वाली नवीन गतिविधियों (Best Practiices) का अध्ययन करना तथा उनके क्रियान्वयन सम्बंधी सुझाव विभाग को प्रस्तुत किया जाना।

(2) <u>पात्रताः</u>

मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम में चयन हेतु शोधार्थियों द्वारा पर्यटन विभाग के वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। चयन हेतु पात्रता निम्नवत् होगीः-

अनिवार्य अर्हताः

प्रमुख मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक अथवा उससे उच्च शैक्षणिक योग्यता।

अधिमानी अर्हताः

1. आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य का अनुभव तथा बी.बी.ए./बी.ए./एम.ए./एम.फिल/पी.एच.डी.-टूरिज्म एण्ड ट्रेवेल मैनेजमेन्ट, एम.बी.ए.-हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एण्ड ट्रैवेल, पी.जी. डिप्लोमा-ट्रेवेल एण्ड टूरिज्म, हास्पिटैलिटी, पर्यटन एवं पुरातत्व में डिग्री/डिप्लोमा को वरीयता प्रदान की जायेगी।
2. आवेदकों के पास एम.एस.वर्ड/एम.एस.-एक्सेल/एम.एस.-पावर प्वाइंट/विण्डोज़ का ज्ञान होना चाहिये।
3. अभ्यर्थियों को फील्ड वर्क में कार्य करने का इच्छुक होना अनिवार्य है।
4. हिन्दी (देवनागरी लिपि) एवं अंग्रेजी भाषा बोलने एवं लिखने में कुशल होना चाहिए।

(3) <u>आयु सीमाः-</u>

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) <u>भूमिका एवं उत्तरदायित्वः-</u>

मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित जनपदों हेतु चयनित शोधार्थियों का चयन किया जायेगा, जिसके निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगेः-

1. कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थियों के द्वारा जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त तथा सम्बन्धित पर्यटन विभाग के अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।
2. शोधार्थी द्वारा प्रदेश के पर्यटन स्थलों/पर्यटन विभाग द्वारा कार्यान्वित समस्त योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन, मेले महोत्सवों, कार्यक्रमों के आयोजन सम्बन्धी कार्य सचिव, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए किया जाएगा।
3. शोधार्थी द्वारा प्रदेश के भ्रमण पर आने वाले तीर्थ यात्रियों, देशी/विदेशी पर्यटकों के ऑकड़ों का संकलन तथा पर्यटकों द्वारा की गई शिकायतों के निराकरण सम्बन्धी प्रकरणों पर आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. शोधार्थी द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों तथा पर्यटकों का प्रदेश में आवागमन बढ़ाने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किये जायेंगे।
5. शोधार्थी द्वारा योजनाओं से सम्बंधित नीति निर्धारण, योजना संरचना, कार्यान्वयन तथा प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले महोत्सवों, पर्यटन से जुड़े कार्यक्रमों को आयोजित किये जाने से सम्बंधित कार्यों में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
6. शोधार्थियों के द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक डाटा को रियल टाइम संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए एकत्र किया जायेगा तथा प्रदेश में पर्यटन के राजस्व में बढ़ोत्तरी किए जाने में अहम भूमिका निभायी जाएगी।

(5) <u>कार्य की रिपोर्टिंगः-</u>

उपरोक्त के अतिरिक्त शोधार्थी द्वारा सम्पादित गतिविधियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगीः-

1. मासिक प्रगति रिपोर्ट, जिसमें शोधार्थी द्वारा नीति एवं योजना कार्यान्वयन की चुनौतियों और योजना के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण का उल्लेख किया जाना।
2. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट एवं प्रस्तुतीकरण की समीक्षा महानिदेशक पर्यटन एवं विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
3. वार्षिक रिपोर्ट और प्रस्तुतीकरण के आधार पर शोधार्थी द्वारा सम्पादित किए गए कार्यो का मूल्यांकन किया जाएगा।
4. संग्रहित डेटा संकलन।

(6) <u>पारिश्रमिकः-</u>

मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित शोधार्थी को पारिश्रमिक के रूप में रू0 30,000.00 (रूपये तीस हजार) तथा क्षेत्र भ्रमण हेतु रू0 10,000.00 (रूपये दस हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। साथ ही शोधार्थी को एक टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। आवास की व्यवस्था शोधार्थी द्वारा स्वयं की जाएगी।

(7) <u>सम्बद्धता की अवधि एवं वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन</u>

मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित शोधार्थी की सम्बद्धता अवधि कार्यभार ग्रहण की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत हुई उपयोगिता, आवश्यकता के दृष्टिगत उत्कृष्ट कार्य के आधार पर सम्बद्धता अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। पारिश्रमिक एवं क्षेत्र भ्रमण के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत शोधार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में सफलतापूर्वक किये गए कार्यो हेतु विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

(8) <u>अवकाशः</u>

आनुपातिक आधार पर एक वर्ष में 12 दिनों का अवकाश अनुमन्य होगा।

(9) <u>चयन की प्रक्रिया आवेदन पत्रों का परीक्षण</u>

शोधार्थियों के चयन हेतु पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु एक विभागीय कमेटी का गठन किया जाएगा। विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नानुसार परीक्षण किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) <u>परीक्षणः</u>

अ-

(1) अस्पष्ट आवेदनों को परीक्षणोपरान्त हटा दिया जाएगा।

(2) डुप्लीकेसी नियंत्रणः 01 ई-मेल आई डी, फोन नम्बर एवं 01 नाम से केवल एक आवेदन ही स्वीकार्य होगा।

(3) शोधार्थियों की पात्रताः केवल स्नातक (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक) अथवा स्नातकोत्तर या पी.एच.डी. (पूर्ण अथवा थीसिस प्रस्तुत) छात्र ही पात्र होंगे।

(4) आयु मानदण्डः आवेदक जो 40 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हैं, आवेदन हेतु मान्य होंगे।

(5) आवेदकों जिनके द्वारा 500 शब्दों के उद्देश्य (Statement of purpose) अपलोड नहीं किया गया है उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

ब- आवेदन पत्रों का मूल्यांकन

स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी।

स- आब्जेक्टिव स्कोरिंगः 50 अंक

स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मानक के अनुसार आवेदकों की आब्जेक्टिव स्कोरिंग की जायेगी। स्कोरिंग के मानक निम्नवत् हैः-

<u>शैक्षिक योग्यता एवं कार्य अनुभवः</u>

क्रमांक	विवरण	अधिकतम अंक
अ	**उच्चतम शैक्षिक योग्यता**	**25**
1	स्नातक	15
2	स्नातकोत्तर/एम.ए./एम.फिल/पी.जी. डिप्लोमा/एम.बी.ए. इन ट्रेवेल, टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी, पुरातत्व	20
3	पी.एच.डी. इन टूरिज्म एण्ड ट्रेवेल मैनेजमेन्ट/पुरातत्व	25
ब	**अन्य विधिक मानदंड**	**15**
1	यू.जी.सी. केयर लिस्ट के अधीन जरनल्स में प्रकाशित शोध कार्य/लेख	6
2	केन्द्र एवं राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदत्त पुरस्कार	6
3	कोई अन्य विशिष्ट उपलब्धि	3
स	**प्रासंगिक कार्य अनुभव**	**10**
1	06 माह से 02 वर्ष	05
2	02 वर्ष से अधिक (पीएचडी डिग्री की अवधि को कार्य अनुभव नही माना जाएगा)	10

द- साक्षात्कार: 25 अंक

शोधार्थियों के साक्षात्कार हेतु शासन द्वारा त्रिसदस्यीय चयन समिति का गठन किया जायेगा। शोधार्थियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी अभिलेखों की मूल एवं स्व प्रमाणित प्रतिलिपि साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। शैक्षिक योग्यता का सत्यापन साक्षात्कार के समय किया जायेगा। साक्षात्कार में शोधार्थियों के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान कार्य के प्रति उत्साह आदि का आंकलन किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत उद्देश्य का विवरण का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों को 25 अंको में से स्कोर किया जायेगा।

कुल प्राप्त अंको के योग के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए शीर्ष के 25 अभ्यर्थियों को योजना के नियम एवं शर्तो के अधीन चयन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त 25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शोधार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले शोधार्थियों में जिसकी आयु अधिक होगी उसे वरीयता क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(11) <u>प्रशिक्षणः</u>

मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित शोधार्थियों को दो सप्ताह का प्रशिक्षण मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ में कराया जाएगा, जिसमें विशिष्ट रूप से FHRAI New Delhi, ITTM Noida, IHM Lucknow, FCI Aligarh, Institute of Archaelogy Delhi आदि विशिष्ट संस्थानों के विशेषज्ञों से व्याख्यान आयोजित कराये जायेंगे।

(12) <u>अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:</u>

1. मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है। अतः चयनित शोधार्थी फेलोशिप कार्यक्रम की अवधि में किसी अन्य रोजगार, असाइनमेंट तथा अन्य पूर्णकालिक अध्ययन/ कार्य करने के लिए अनुमन्य नहीं होगें।
2. फेलोशिप कार्यक्रम कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात स्थायी सेवा/रोजगार का आश्वासन नहीं देता है।
3. प्रत्येक चयनित शोधार्थी के लिए कार्यालय का समय वही होगा जो उस कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिए है।
4. शोधार्थी द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त घंटे कार्य करने और यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है।
5. शोधार्थी द्वारा फेलोशिप कार्यक्रम में सम्बद्धता के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आयेंगे। शोधार्थी के चयन के पश्चात शोधार्थी के चरित्र का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा।
6. फेलोशिप की अवधि में शोधार्थी को अपने सम्बद्धता स्थान पर रहना होगा।
7. शोधार्थी को प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस में सम्बद्ध कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा चयन रद्द कर दिया जाएगा।
8. फेलोशिप की अवधि के दौरान शोधार्थी को किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नही दी जाएगी।
9. जनपद/मण्डल स्तर पर तैनाती के दौरान शोधार्थी को पर्यटन की योजनाओं के सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, प्रस्तावों की रूप-रेखा तैयार किए जाने हेतु क्षेत्र का भ्रमण करना होगा।

(13) <u>प्रबन्धनः</u>

फेलोशिप कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं प्रबन्धन का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। शोधार्थियों के चयन में होटल प्रबन्धन, खान-पान प्राद्यौगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ तथा फूड क्राफ्ट संस्थान, अलीगढ़ का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

(14) <u>वित्तीय व्ययभारः-</u>

मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत शोधार्थियों पर होने वाले व्ययभार की स्थिति निम्नवत् हैः-

- 25 शोधार्थियों को पारिश्रमिक के रूप में प्रतिमाह प्रति शोधार्थी रू0 30,000 (रूपये तीस हजार) एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु प्रतिमाह रू0 10,000 (रूपये दस हजार) तथा 12 माह (एक वर्ष) हेतु लगभग कुल रू0 1,20,00,000 (रू0 एक करोड़ बीस लाख मात्र) का व्यय।
- 25 शोधार्थियों को मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ में 15 दिवस के प्रशिक्षण पर रू0 7,50,000 (रूपये सात लाख पचास हजार) का व्यय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- संदर्भित योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु 25 शोधार्थियों को प्रति शोधार्थी हेतु एक टैबलेट उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, जिस पर लगभग रू0 3,75,000 (रूपये तीन लाख पचहत्तर हजार) का व्ययभार होगा।

इस प्रकार एक वर्ष में लगभग कुल रू0 1,31,25,000 (रू0 एक करोड़, इकत्तीस लाख, पच्चीस हजार मात्र) व्ययभार होगा।

ख- भविष्य में किसी अग्रेतर संशोधन/निर्णय हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

4. मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नवत् शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(**i**) प्रश्नगत प्रयोजना हेतु पर्यटन निदेशालय द्वारा यथासमय बजटीय व्यवस्था की कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जायेगी।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0।
5. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   कार्मिक विभाग/वित्त विभाग/ नियोजन विभाग एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. उप निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

J

http://shasanadesh.up.gov.in